रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 10, 2011/फाल्गुन 19, 1932
No. 426] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 10, 2011/PHALGUNA 19, 1932

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2011

का.आ. 497(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ताजी, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरी) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 .(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ताजी , प्रशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण , निरीक्षण और मानीटरी) (संशोधन) नियम 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो महीने के पश्चात प्रवृत्त होंगे ।

2. ताजी, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरी) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के पैरा 2 के उपनियम 2.22 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्; -

"2.23. " जलचर संबर्द्धन फार्म " से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जहाँ जलीय पशु जैसे , श्रीम्प, झींगा, मछली या कोई अन्य जलीय जीव नियंत्रित अवस्था में तालाबों ,बाडों,आवृत्तों, तटीय क्षेत्रों या अन्य तरीकों से खारे , अरूचिकर या ताजे जल में आकार या भार बढाने के लिए रखे जाते है ।

"2.24 हैचरि" से अभिप्रेत है वह परिसर जो फिन मछली तथा शैल मछली के उनकी प्रारम्भिक अवस्थाओं में नियंत्रित वातावरण में पोषण , हैचिंग (अण्डे से निकलना) या पालन के लिये प्रयुक्त होते है ,

"2.25 फीड मिल" से अभिप्रेत है, फिन मछलियों एवं शैल मछलियों के लिए चारे के बनाने के लिए, संधटकों के मिलाने , मिक्सिंग तथा बहिवर्द्धन के लिए कोई भी परिसर"

2.26 " फीड " से अभिप्रेत है योगात्मक सहित कोई तत्व या उत्पाद, जो संसाधित ,आंशिक संसाधित या असंसाधित हो और जो सहित फिन मछली तथा शैल मछली को मुख से खिलाने के काम में आवें"

" 2.27 " रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण " से अभिप्रेत है ऐसा कोई भी मान्यता प्राप्त पदनामित प्राधिकरण जो प्राप्त जलचर फार्म/हैचरी/ फीड मील/मछली जहाज/शीतक जहाज/कारखाना जहाज/अवतरण केन्द्र/ प्रतिस्थापनाएं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत करने के लिए प्राधिकृत हो।

3. मूल नियमों के नियम 3 में " उद्योग " प्रसंस्करणकर्ता और " स्थापना " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे। अर्थात् ;

स्थापना /उतराई केन्द्र/ कारखाना जहाज/शीतक जहाज/ मछली जहाज/ जलचर फार्म/ हैचरिज / फीड मील"

4. मूल नियमों के नियम 6 में, उपनियम 6.2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

" 6.2 में 4.1, 4.2 और 4.4 से 4.9 में जो अपेक्षाएं जलचर उत्पादों के लिए लागू की गयी हैं उसका आवश्यक पालन किया जाएगा।

5. मूल नियमों के नियम 6 में, उपनियम 6.3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,अर्थात्-

6.3 स्थापना में जलचर उत्पादों को केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत प्राधिकरण से प्राप्त किया जाएगा ।

6 मूल नियमों के नियम 6 में, उपनियम 6.3. के पश्चात निम्नलिखित उपनियम को रखा जाएगा।

6.4 जलचर फार्म मे सक्षम प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत अनुमोदित और मानीटर किए गए हेचरि फार्म से पकडी गई ज्यूवेनाइल मछली या क्रशटेसियंस को प्राप्त किया जाएगा ।

6.5 जलचर फार्म और हैचरि फीड उन्ही फीड मिलों से प्राप्त करेंगें जो कि रजिस्ट्रीकरण करने वाले प्राधिकरण के साथ सम्यक रुप से रजिस्ट्रीकृत हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और मानीटर किए गए हो।

7. मूल नियमों के नियम 9 के उपनियम 9.6 और उपनियम 9.6.1 में जहाँ भी ' स्थापन' शब्दो के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

' स्थापन/कारखाना जहाज/ हैचरि/फीडमील'

8. मूल नियमों के, नियम 11 में, जहाँ भी वे आते है शब्द' स्थापना/ कारखाना जहाज के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,अर्थातः

' स्थापनाएं/ उतराई केन्द्र/ कारखाना जहाज/शीतक जहाज/ मछली जहाज/ जलचर फार्म/ हैचरि / फीड मील

9. मूल नियमों के, नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

12. सक्षम प्राधिकारी समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीडा) और/ या किसी अन्य संगठन से स्थापना/उतराई केन्द्र/ कारखाना जहाज/शीतक जहाज/मछली जहाज/जलचर फार्म/ हैचरि/फीडमील को मान्यताप्राप्त करने के लिए प्रतिनिधियों से सहायता ले सकते ।

10. मूल नियमों के उपनियम 12.2 ' स्थापना/ कारखाना जहाज ' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् ;

' स्थापनाओं/ कारखाना जहाज/ शीतक जहाज'

11. मूल नियमों के नियम 13 जहॉं वे आते है' स्थापना/कारखाना जहाज' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जायेंगे, अर्थात्-

' स्थापनाओं/ उतराई केन्द्र/ कारखाना जहाज/शीतक जहाज/ मछली जहाज/ जलचर फार्म/ हैचरि / फीड मील

[फा. सं. 2/57/2010-निर्यात निरीक्षण]

डी. एस. ढेसी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण सं. का.आ. 730(अ), तारीख 21 अगस्त, 1995 द्वारा प्रकाशित किये गये और पश्चात्वर्ती संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 415(अ), तारीख 11 अप्रैल 2002, का.आ. 1029(अ), तारीख 24 सितम्बर, 2002, का.आ. 1034(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2003, का.आ. 717, तारीख 25 फरवरी 2005, का.आ. 612, तारीख 15 फरवरी, 2007 और का.आ. 1519(अ), 16 जून, 2008, का.आ. 2714(अ), तारीख 28 अक्तूबर, 2009 और का.आ. 143(अ), तारीख 21 जनवरी, 2011 के द्वारा प्रकाशित किये गये ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2011

S.O. 497(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 1995 :—

1. (1) These rules shall be called the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) (Amendment) Rules, 2011.

   (2) They shall come into force after two months from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 1995, (hereinafter referred to as the principal rules) in Para 2, relating to definitions, after sub-rule 2.22, the following sub rules shall be inserted, namely, -

   "2.23 - 'Aquaculture Farm' means the area where aquatic animals like shrimp, prawn, fish or any other aquatic life are kept under controlled conditions in ponds, pens, enclosures, coastal areas or otherwise, in saline, brackish or fresh water, so as to increase their size or weight."

   "2.24 - 'Hatchery' means any premises for breeding, hatching or rearing of Finfish and Shellfish through their early life stages under controlled conditions."

   "2.25 - 'Feed Mill' means any premises for mixing, mincing and extruding ingredients for making feed for Finfish and Shellfish."

   "2.26 - 'Feed' means any substance or product, including additives, whether processed, partially processed or unprocessed, intended to be used for oral feeding to Finfish and Shellfish."

"2.27 - 'Registering Authority' means any authority authorized / designated / recognized by the 'Competent Authority' to register aquaculture farms / hatcheries / feed mills / fishing vessels / freezer vessels / factory vessels / landing centers / establishments."

3. In the principle rules, in rule 3, for the words "industry", "processor" and "establishments", the following shall be substituted, namely,-

   "establishments / landing centers / factory vessels / freezer vessels / fishing vessels / aquaculture farms / hatcheries / feed mills".

4. In the principal rules, in rule 6, for sub-rule 6.2, the following shall be substituted, namely, -

   "6.2 They must comply with the requirements laid down under 4.1, 4.2 and 4.4 to 4.9, as applicable to aquaculture products."

5. In the principal rules, in rule 6, for sub rule 6.3 the following shall be substituted, namely, -

   "6.3. The establishment shall procure aquaculture products only from farms registered with authorities authorized / designated by the Competent Authority."

6. In the principal rules, in rule 6, after sub-rule 6.3, the following sub rules shall be inserted namely, -

   "6.4 The aquaculture farm shall procure juvenile fish or crustaceans caught when juvenile only from hatcheries duly registered with the registering authority and approved and monitored by the competent authority.

   6.5 The aquaculture farm and hatcheries shall procure feed only from feed mills duly registered with the registering authority and approved and monitored by the competent authority."

7. In the principal rules, in rule 9, in sub-rule 9.6 and in sub-rule 9.6.1, for the word "establishment", wherever it occurs, the following shall be substituted, namely,-

   "establishment / factory vessel / hatchery / feed mill".

8. In the principal rules, in rule 11, for the words "establishments/factory vessels", wherever they occur, the following shall be substituted, namely, –

   "establishments / landing centers / factory vessels / freezer vessels / fishing vessels / aquaculture farms / hatcheries / feed mills".

9. In the principal rules, for rule 12, the following shall be substituted, namely, -

   "12. The competent authority may take assistance of representatives from Marine Products Export Development Authority (MPEDA) and / or any other organization, in the matter of approval of establishment / landing center / factory vessel / freezer vessels / fishing vessels / aquaculture farm / hatchery / feed mill."

10. In the principal rules, in sub-rule 12.2, for the words "establishments/factory vessels", wherever they occur, the following shall be substituted, namely, -

"establishments / factory vessels / freezer vessels".

11. In the principal rules, in rule 13, for the words "establishment/factory vessel", wherever they occur, the following shall be substituted, namely, -

"establishments / landing centers / factory vessels / freezer vessels / fishing vessels / aquaculture farms / hatcheries / feed mills".

[F. No. 2/57/2010-Export Inspection]

D. S. DHESI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification Number S.O. 730(E), dated 21st August, 1995, and subsequently amended *vide* notification number S.O. 415(E), dated 11th April, 2002, S.O. 1029(E), dated 24th September, 2002, S.O. 1034(E), dated 9th September, 2003, S.O. 717, dated 25th February, 2005, S.O. 612, dated 15th February, 2007, S.O. 1519(E), dated 16th June, 2008, S.O. 2714(E), dated 28th October, 2009, and S.O. 143(E), dated 21st January, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.